

प्रेषक,

आंयुक्त,

कानपुर मण्डल, कानपुर।

सेवा में,

सधिव,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,

शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र प्रीति विहार,  
नई दिल्ली।

पत्रांक: सी०/ ३५६०-६७ / एन०ओ०सी०/ २०१६-१७

दिनांक २३ → ०८-२०१६

विषय:- सी०पी० इण्टरनेशनल स्कूल, कायमगंज, बाईपास रोड, फर्लखाबाद को  
सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के  
सम्बन्ध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: १९१६/१५-७-०९-०१(२९९)/२००७ दिनांक  
१४-०७-२००९ द्वारा गठित मण्डलीय सभिति की बैठक दिनांक २२-८-२०१६ में लिए गये  
निर्णयानुसार सी०पी० इण्टरनेशनल स्कूल, कायमगंज, बाईपास रोड, फर्लखाबाद को  
सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में राज्य  
सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- १- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी की समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- २- विद्यालय की प्रबन्ध सभिति में शिक्षा निदेशक, उ०प्र० द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- ३- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनमें उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- ४- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद/कॉसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इकायामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है। तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगे।
- ५- संस्थान के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- ६- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्त का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- ७- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- ८- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

- 9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन / संशोधन परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन कराना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और उक्त प्रतिबन्धों को सोसाइटी के बायलौज में समाविष्ट कराना अनिवार्य होगा। यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूँक या शिथिलता दरती जाती है तो प्रदल्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

  
मुख्यमन्त्री

(मोहम्मद इफ्तखारुद्दीन)

आयुक्त

कानपुर मण्डल, कानपुर  
तददिनांक

पृ० सं० सी० / ३०६० -६७ / 2016-17

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- सचिव (माध्यमिक शिक्षा) उ०प्र० शासन शिक्षा अनुभाग-७ लखनऊ।
- 2- जिलाधिकारी, फर्लखाबाद।
- 3- शिक्षा निदेशक(मा०) उ०प्र० शिविर कार्यालय १८ पार्क रोड लखनऊ।
- 4- जिला विद्यालय निरीक्षक, फर्लखाबाद।
- 5- निरीक्षक आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 6- प्रबन्धक / सचिव, सी०पी० इण्टरनेशनल स्कूल, कायमगंज, बाईपास रोड, फर्लखाबाद।
- 7- गार्ड फाइल।

  
(राजेन्द्र प्रसाद)

संयुक्त शिक्षा निदेशक,  
कानपुर मण्डल, कानपुर

16c